

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 25/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुआलाल खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्स:- अशोक एजेन्सी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा
2. श्री पंकज शर्मा नोमिनी/ईन्चार्ज मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर) प्लॉट नं0 एफ 544, रोड नं0 1बी, डोर नं0 4 वी.के. आई. एरिया सीकर रोड, जयपुर।
3. मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर)।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित।
: श्री मकखन लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 उपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक:-08.08.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 13.05.2016 को सायंकाल 05:30 बजे मैसर्स- अशोक एजेन्सी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुआलाल खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 3 कार्टून में 750 एमएल पैकिंग में पैक पैट बोतल Rose Sharbat (Shri Guruji) (3 कार्टून X 12 पैट बोतल X 750 एमएल) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से 1 कार्टून में से 4 मूल पैट बोतल X 750 एमएल Rose Sharbat (Shri Guruji) नमूने की जाँच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 472 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं0 159 दिनांक 12.04.2016 प्रस्तुत किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक Rose Sharbat (Shri Guruji) की बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्र० सं० : 25 / 2017 एफ एस एस एक्ट

कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1387 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.05.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.05.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.05.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1499/एक्ट/2016/2436 दिनांक 04.07.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) के लेबल पर ROSE की फोटो प्रिन्ट की हुई है एवं ROSE लेबल पर प्रिन्ट भी किया हुआ है, परन्तु खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) में ROSE की मात्रा नहीं पायी गयी है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार यह सिर्फ एक सिंथेटिक शर्बत होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमने उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर) से बिल द्वारा पैक ही खरीदकर पैक ही बेचा है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं० 2 व 3 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) के लेबल पर हमने नियमानुसार संशोधन कर लिया है। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्र० सं० : 25/2017 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1499/एक्ट/2016/2436 दिनांक 04.07.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Shri Guruji) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्तगण सं० 2 व 3 श्री पंकज शर्मा नोमिनी/ईन्चार्ज मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर) प्लॉट नं० एफ 544, रोड नं० 1बी, डोर नं० 4 वी.के. आई. एरिया सीकर रोड, जयपुर पर 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 08.08.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 21-08-2018

क्रमांक / 10595 - 10599

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुआलाल खण्डेलवाल
एफबीओ मैसर्स:- अशोक एजेन्सीज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा
4. श्री पंकज शर्मा ईन्चार्ज व नोमिनी मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर)
एफ-544, रोड नं० 1बी, डोर नं० 4 वी.के. आई. एरिया जयपुर।
5. मैसर्स:- गुरुजी प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर)।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा